म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन भोपाल.

क. / म.नि. / बी–6 / 2 / 121 पार्ट1 / 626 भोपाल दिनांक 4 / 02 / 2019

प्रति,

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी)
जिला – .... (समस्त)।

विषय :– मंडी समितियों के सामान्य निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार कराने के संबंध में।

संदर्भ :– एम.पी.एस.ई.डी.सी. का पत्र क्रमांक 4177 दिनांक 01.02.2019।

– 0 –

उपरोक्त विषयांर्तगत संदर्भित पत्र से मंडी समितियों के सामान्य निर्वाचन अंतर्गत फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार किये जाने के सबध में म0प्र0 स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी.एस.ई.डी.सी.) भोपाल द्वारा प्रदेश के सभी जिलों की मंडी समितियों की सूची तैयार करने हेतु प्रक्रिया तैयार की गई है जो संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

कृपया उक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी करने का अनुरोध है, ताकि फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने का कार्य समय सीमा में किया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संयुक्त संचालक (निर्वाचन)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क. / म.नि. / बी–6 / 2 / 121 पार्ट1 / 627 भोपाल दिनांक 4 / 02 / 2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध संचालक, म0प्र0 स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आचंलिक कार्यालय भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / उज्जैन / जबलपुर / सागर / रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सचिव कृषि उपज मंडी समिति .... जिला....................... (समस्त) की ओर पालनार्थ।

संयुक्त संचालक (निर्वाचन)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd.
CIN : U74210MP1983SGC002298
(म.प्र. सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of M.P. Undertaking)

एम.पी.एस.ई.डी.सी/निर्वा./2019/ 4177 दिनांक :- 01.02.2019

प्रति,
प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल ।

विषय:- मंडी समितियों की फोटोयुक्त नामावली तैयार करने के संबंध में |

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक मं.नि./बी -6/2/121 पार्ट – 1/613 दिनांक 30.01.2019

संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें | मंडी समितियों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के पायलट प्रोजेक्ट हेतु स्थानीय निर्वाचन की मतदाता सूची से शिफ्टिंग सूची तैयार कर जिले में प्रदाय कर दी गई है जिसमें कृषक मतदाताओं के चिन्हांकन का कार्य किया जाना है | शिफ्टिंग सूची में चिन्हांकन के उपरांत सॉफ्ट वेयर के माध्यम से मतदाता शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा सकेगी |

उक्त प्रक्रिया के साथ ही साथ प्रदेश के सभी जिलों की मंडी समितियों की सूची तैयार करने हेतु प्रक्रिया तैयार की गई है जो संलग्न कर प्रेषित की जा रही है |

कृपया समस्त जिलों के उक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य समय सीमा में किया जा सके |

निर्वाचन
2/2/19

धन्यवाद,

संजय वर्मा
वरि. महाप्रबंधक

मध्य प्रदेश की मंडी समितियों की फोटो युक्त नामावली तैयार करने की प्रक्रिया

मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम को मंडी समितियों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु राज्य स्तरीय संस्था नियुक्त किया गया है | निर्णयानुसार मंडी समितियों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार की जाना है |

मंडी समितियों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निर्वाचन) में प्रयुक्त नामावली से कृषक मतदाताओं का स्थानांतरण कर किया जायेगा | इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के डाटा से शिफ्टिंग सूची जनरेट कर प्रिंट की जायेगी |

1. कंट्रोल टेबल हेतु निर्धारित प्रपत्र की जानकारी तैयार करना

प्रत्येक मंडी समिति के लिए संलग्न प्रपत्र में जानकारी तैयार की जायेगी जिसमें मंडी समिति का क्रमांक, नाम एवं आरक्षण की स्थिति अंकित की जायेगी | प्रपत्र में निम्नानुसार जानकारी अंकित की जायेगी |

(i) मंडी समिति के वार्ड का क्रमांक
(ii) मंडी समिति के वार्ड का नाम
(iii) मंडी समिति के संबंधित वार्ड के आरक्षण की स्थिति
(iv) मतदान केंद्र का क्रमांक
(v) मतदान केंद्र का नाम
(vi) मतदान केंद्र क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत का नाम
(vii) मतदान केंद्र में सम्मिलित ग्रामों के नाम
(viii) मतदान केंद्र के भवन का नाम
(ix) मतदान केंद्र की तहसील का नाम
(x) मतदान केंद्र के विकास खंड का नाम

2. <u>कंट्रोल टेबल की डाटा एंट्री</u>

राज्य स्तरीय संस्था द्वारा तैयार कराये गये साँफ्ट वेयर में उपरोक्त प्रपत्र की जानकारी अंकित कराई जायेगी | एंट्री का कार्य पूर्ण होने पर चेकलिस्ट जनरेट होगी जिसका प्रिंट निकाल कर जाँच कर पायी गई त्रुटियों का सुधार कर अंतिम रूप दिया जायेगा |

3. <u>राज्य निर्वाचन आयोग के डाटा से शिफ्टिंग सूची जनरेट कर प्रिंट करना</u>

राज्य निर्वाचन आयोग के डाटा से कृषक मतदाताओं की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु शिफ्टिंग सूची जनरेट होगी जिसको प्रिंट कर मार्किंग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा |

4. **<u>शिफ्टिंग सूची में मतदाताओं की मार्किंग करना</u>**

आपको जिले की सभी जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतवार शिफ्टिंग सूची प्रिंट कर प्रदाय की जायेगी जिसमें कृषक मतदाताओं के समक्ष निम्न जानकारी अंकित किया जाना है :-

(i) मंडी समिति का क्रमांक

(ii) मंडी समिति का वार्ड क्रमांक

(iii) मतदान केंद्र क्रमांक

(iv) संबंधित मतदाता का कृषि खाता क्रमांक

(v) संबंधित मतदाता का वह ग्राम जहां उसका कृषि खाता है

(vi) मोबाईल नंबर

कृषक मतदाता से संबंधित उपरोक्त जानकारी शिफ्टिंग सूची में अंकित करें ताकि कृषक मतदाता को संबंधित मंडी की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सके |

5. <u>शिफ्टिंग सूची में मार्किंग पश्चात साँफ्ट वेयर से मतदाताओं की शिफ्टिंग करना</u>

शिफ्टिंग सूची में कृषक मतदाताओं की मार्किंग पश्चात मंडी समिति की मतदाता सूची बनाने हेतु तैयार साँफ्ट वेयर के माध्यम से मतदाता की शिफ्टिंग की जायेगी | इसमें खाता क्रमांक की एंट्री अनिवार्य होगी तथा मोबाईल नंबर भी अंकित करना होगा | शेष कालमों की

पूर्ती ड्राप डाउन से सिलेक्ट कर हो सकेगी | सभी कालम की पूर्ती उपरान्त शिफ्ट बटन द्वारा वह मतदाता संबंधित मंडी के संबंधित वार्ड व मतदान केंद्र में शिफ्ट हो जायेगा |

6. मंडी समिति की मतदाता सूची में शिफ्ट किये गये मतदाताओं की चेकलिस्ट जनरेट करना |

स्थानीय निर्वाचन की मतदाता सूची से मंडी समिति की निर्वाचक नामावली में शिफ्ट किये गये मतदाताओं की चेक लिस्ट जनरेट की जाकर उसका प्रिंट निकाल कर जाँच हेतु उपलब्ध कराई जायेगी |

7. चेकलिस्ट की जाँच एवं त्रुटियों का सुधार

चेक लिस्ट का मिलान एवं जाँच की जायेगी तथा उसमें यदि कोई त्रुटियाँ पायी जाती है जैसे कि खाता क्रमांक गलत अंकित हो गया या मतदाता गलत जगह शिफ्ट हो गया इत्यादि तो चेकलिस्ट में उसका सही नंबर या स्थान का संशोधन किया जायेगा | इस प्रकार जाँच उपरांत चेक लिस्ट में किये गये संशोधन अनुसार साँफ्ट वेयर के माध्यम से मंडी की मतदाता सूची में संशोधन किया जायेगा |

8. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना

चेकलिस्ट की जाँच एवं साँफ्ट वेयर के माध्यम से मतदाता सूची में संशोधन उपरान्त फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची की पीडीएफ जनरेट कर प्रिंट कर आपको प्रदाय की जायेगी | जिसका मंडी समितियों द्वारा नियत तिथि पर प्रकाशन किया जायेगा |

9. फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन एवं दावे/आपत्तियाँ प्राप्त करना

फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु मंडी बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथी को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा | प्रारूप प्रकाशन के उपरान्त नियत तिथी तक दावे/आपत्तियाँ प्राप्त करने की कार्यवाही प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा की जायेगी |

10. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये दावे/आपत्तियों की सूची तैयार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा किये जायेंगे जिनकी ऑपरेटर द्वारा सॉफ्ट वेयर के माध्यम से डाटा एंट्री की जायेगी।

11. समस्त दावे आपत्तियों की डाटा एंट्री के पश्चात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सॉफ्ट वेयर में लॉगिन से डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से दावे आपत्तियों का निराकरण (स्वीकृत/अस्वीकृत) किया जायेगा।

12. दावे आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम मतदाता सूची की पी.डी.एफ जनरेट कर प्रिंट की जायेगी जिसका अभिहित स्थलों पर प्रकाशन किया जायेगा।